

निर्णय ब इजलास जगरूप सिंह यादव आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर  
प्रकरण संख्या 123/2019 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

ओरियन्टल बैंक ऑफ कामर्स आर आर एल कलक्टर, जयपुर ।

प्रार्थी

बनाम

राजेश मीणा पुत्र श्री छाजूराम मीणा निवासी ग्राम जितावाला तहसील बस्सी जिला जयपुर

अप्रार्थी ऋणी

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act.2002.

उपस्थित:-श्री विनोद खाण्डल अधिवक्ता प्रार्थी बैंक की ओर से ।



निर्णय

दिनांक 3-10-2019

सक्षिप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी ऋणी को 20.01.2017 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी श्री राजेश मीणा के नाम पंजीकृत वाहन Ford figo 1.5 Diesel Titanium MT रजिस्ट्रेशन नम्बर RJ 14-VC-6213 को हाईपोथीकेटेड कर कुल रूपये 7,65,000/-रूपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 5.10.2016 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी बैंक ने The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act.2002. की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास हाईपोथीकेटेड उक्त वाहन का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

2. प्रकरण दर्ज किया जाकर न्यायहित में ऋणी को रजिस्टर्ड सूचना पत्र जारी किया गया। अप्रार्थी उपस्थित नहीं है।
3. प्रार्थी के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।
4. प्रकरण में प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 05.10.2016 को धारा 13 (2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया। इसके अतिरिक्त दो दैनिक समाचार पत्र क्रमशः पंजाब केसरी एवं दी इकोनोमिक टाइम्स में दिनांक 08.08.2018 को धारा 13(2) का नोटिस प्रकाशित कराया गया है। इसके बावजूद सम्पूर्ण बकाया ऋण राशि जमा नहीं कराई गई है। नोटिस प्रकाशित समाचार पत्रों की फोटो प्रति प्रार्थी बैंक द्वारा प्रस्तुत की गई है। अतः The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act.2002. की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी बैंक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थी श्री राजेश मीणा के नाम पंजीकृत वाहन Ford figo 1.5 Diesel Titanium MT रजिस्ट्रेशन नम्बर RJ 14-VC-


जिला मजिस्ट्रेट  
(कलक्टर) जयपुर

6213 का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।

5. आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक को हस्त कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर दाखिल दफ्तर हो।



आज दिनांक 3-10-2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

  
( जगरूप सिंह यादव )  
जिला मजिस्ट्रेट  
(कलक्टर) जयपुर